प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1.**समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2.**समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक**–एन0एच0एम0,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / एच0एम0आई0एस0पी0–आई0पी0 / 2014–15 / 03 / 4276-2 दिनाँकः 26-12-14

विषयः– ब्लाक डाटा इन्ट्री आपरेटर की मोबिलिटी सपोर्ट हेतु आवंटित बजट के अन्तर्गत व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी0आई0पी0 2014–15 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एम0सी0टी0एस0 / एच0एम0आई0एस0 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया हैः–

- **FMR Head** : Mobility Support for HMIS & MCTS at Block: TA/DA for visit for Facility Based Reporting at SC/PHC/CHC@ Rs. 3600 per block per year basis financial year 2014-15 (FMR code B.15.3.1.5.2). Block should share the visit plan with the district. TA/DA should be as per extant rules

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर शत प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु ब्लाक आपरेटर के लिए आर0ओ0पी0 2014–15 में रू0 300 प्रति माह की दर से ब्लाक के अर्न्तगत आने वाले समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में शत्प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु टी0ए0 / डी0ए0 (District should share the visit plan with the state. TA/DA should be as per extant rules) हेतु प्राविधानित किया गया है। इस मानक के अनुसार आपरेटर द्वारा प्रति माह सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों / प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो में कम से कम एक विजिट सुनिश्चित किया जाना है। विजिट के दौरान आपरेटर को निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- एम0सी0टी0एस0 एवं एच0एम0आई0एस0 हेतु ब्लाक स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को उप स्वास्थ्य केंदों / प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो के मैनुअल रिकार्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- एम0सी0टी0एस0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर एम0सी0टी0एस0 टैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिशिचित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा रिर्पोटिग सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिग करना।
- आपरेटर द्वारा स्वास्थ्य केंदों में भ्रमण की रिपोर्ट एवं प्रदेश स्तर से जारी चेक लिस्ट को भरकर ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत करेंगें।

उपरोक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नवीन स्वीकृति के रूप में ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों में ब्लाक आपरेटर हेतु रु0 300.00 प्रति ब्लाक प्रति माह की दर से वित्तीय वर्ष 2014–15 के अवशेष माह

दिसम्बर 2014 से मार्च 2015 तक की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

FMR Code: B.15.3.1.5.2 Mobility Support for HMIS and MCTS at Block Level (01-12-14 to 31-03-2015)

Sl	District	Total post of Block MCTS Operator	Budget for Mobility Support for HMIS and MCTS at Block Level @ Rs. 300.00 per month per block PMU for 4 months	Sl	District	Total post of Block MCTS Operator	Budget for Mobility Support for HMIS and MCTS at Block Level @ Rs. 300.00 per month per block PMU for 4 months
1	2	3	4= (col. 3)xRs 1200	1	2	3	4= (col. 3)xRs 1200
1	Agra	15	18000	39	Maharajganj	12	14400
2	Firozabad	9	10800	40	Jalaun	9	10800
3	Mainpuri	9	10800	41	Jhansi	8	9600
4	Mathura	10	12000	42	Lalitpur	6	7200
5	Aligarh	12	14400	43	Farrukhabad	7	8400
6	Etah	8	9600	44	Auraiya	7	8400
7	Hathras	7	8400	45	Etawah	8	9600
8	Kashganj	7	8400	46	Kannauj	8	9600
9	Allahabad	20	24000	47	Kanpur Dehat	10	12000
10	Fatehpur	13	15600	48	Kanpur Nagar	10	12000
11	Kaushambi	8	9600	49	Hardoi	19	22800
12	Pratapgarh	17	20400	50	Lakhimpur K	15	18000
13	Azamgarh	22	26400	51	Lucknow	8	9600
14	Ballia	17	20400	52	Rae Bareli*	18	21600
15	Mau	9	10800	53	Sitapur	19	22800
16	Bareilly	15	18000	54	Unnav	16	19200
17	Budaun	15	18000	55	Bagpat	6	7200
18	Pilibhit	7	8400	56	Bulandshahar	16	19200
19	Shahjahanpur	15	18000	57	G B Nagar	4	4800
20	Basti	14	16800	58	Ghaziabad	4	4800
21	Sant K Nagar	9	10800	59	Hapur	4	4800
22	Siddharth N	14	16800	60	Meerut	12	14400
23	Banda	8	9600	61	Mirzapur	12	14400
24	Chitrakoot	5	6000	62	Sonbhadra	8	9600
25	Hamirpur	7	8400	63	SRavidas N	6	7200
26	Mahoba	4	4800	64	Bijnor	11	13200
27	Bahraich	14	16800	65	JP Nagar	6	7200
28	Balrampur	9	10800	66	Moradabad	8	9600
29	Gonda	16	19200	67	Rampur	6	7200
30	Shrawasti	5	6000	68	Sambhal	8	9600
31	Ambedkar N	9	10800	69	Muzaffarnagar	9	10800
32	Amethi*	13	15600	70	Saharanpur	11	13200
33	Barabanki	15	18000	71	Shamli	5	6000
34	Faizabad	11	13200	72	Chandauli	9	10800
35	Sultanpur	13	15600	73	Ghazipur	16	19200
36	Deoria	16	19200	74	Jaunpur	21	25200
37	Gorakhpur	19	22800	75	Varanasi	8	9600
38	Kushinagar	14	16800		**TOTAL**	**820**	**984000**

***पत्रांकः एम.डी.–कैम्प / 2014–15 / 1647 दिनांकः 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र–सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।**

समस्त ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में रू0 300.00 प्रति माह की दर से ब्लाक के अर्न्तगत आने वाले समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में शत्प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु टी0ए0 / डी0ए0 हेतु रू0 9,84,,000.00 (रु0 नौ लाख चौरासी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार तैनात किये गये समस्त ब्लाक एम0सी0टी0एस0 डेटा–इंट्री ऑपरेटर के टी0ए0 / डी0ए0 का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.1.5.2 से किया जायेगा। उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें :–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमो / निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appopriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक / महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0/एच0एम0आई0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

भवदीय,

22/12/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांकः एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/एच0एम0आई0एस0पी0–आई0पी0/2014–15/03/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1.**समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2.**समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक**–एन0एच0एम0,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःएन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / एच0एम0आई0एस0पी0–आई0पी0 / 2014–15 / 03 / दिनाँकः 26-12-14

विषयः– ब्लाक डाटा इन्ट्री आपरेटर की मोबिलिटी सपोर्ट हेतु आवंटित बजट के अन्तर्गत व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी0आई0पी0 2014–15 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एम0सी0टी0एस0 / एच0एम0आई0एस0 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया हैः–

- **FMR Head** : Mobility Support for HMIS & MCTS at Block: TA/DA for visit for Facility Based Reporting at SC/PHC/CHC@ Rs. 3600 per block per year basis financial year 2014-15 (FMR code B.15.3.1.5.2). Block should share the visit plan with the district. TA/DA should be as per extant rules

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर शत प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु ब्लाक आपरेटर के लिए आर0ओ0पी0 2014–15 में रू0 300 प्रति माह की दर से ब्लाक के अर्न्तगत आने वाले समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में शत्प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु टी0ए0 / डी0ए0 (District should share the visit plan with the state. TA/DA should be as per extant rules) हेतु प्राविधानित किया गया है। इस मानक के अनुसार आपरेटर द्वारा प्रति माह सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों / प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो में कम मे कम एक विजिट सुनिश्चित किया जाना है। विजिट के दौरान आपरेटर को निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- एम0सी0टी0एस0 एवं एच0एम0आई0एस0 हेतु ब्लाक स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को उप स्वास्थ्य केंदों / प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो के मैनुअल रिकार्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- एम0सी0टी0एस0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर एम0सी0टी0एस0 टैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिशिचित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा रिर्पोटिग सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिग करना।
- आपरेटर द्वारा स्वास्थ्य केंदों में भ्रमण की रिपोर्ट एवं प्रदेश स्तर से जारी चेक लिस्ट को भरकर ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत करेंगें।

उपरोक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 में नवीन स्वीकृति के रूप में ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों में ब्लाक आपरेटर हेतु रु0 300.00 प्रति ब्लाक प्रति माह की दर से वित्तीय वर्ष 2014–15 के अवशेष माह

दिसम्बर 2014 से मार्च 2015 तक की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा रही है। जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

FMR Code: B.15.3.1.5.2 Mobility Support for HMIS and MCTS at Block Level (01-12-14 to 31-03-2015)

Sl	District	Total post of Block MCTS Operator	Budget for Mobility Support for HMIS and MCTS at Block Level @ Rs. 300.00 per month per block PMU for 4 months	Sl	District	Total post of Block MCTS Operator	Budget for Mobility Support for HMIS and MCTS at Block Level @ Rs. 300.00 per month per block PMU for 4 months
1	2	3	4= (col. 3)xRs 1200	1	2	3	4= (col. 3)xRs 1200
1	Agra	15	18000	39	Maharajganj	12	14400
2	Firozabad	9	10800	40	Jalaun	9	10800
3	Mainpuri	9	10800	41	Jhansi	8	9600
4	Mathura	10	12000	42	Lalitpur	6	7200
5	Aligarh	12	14400	43	Farrukhabad	7	8400
6	Etah	8	9600	44	Auraiya	7	8400
7	Hathras	7	8400	45	Etawah	8	9600
8	Kashganj	7	8400	46	Kannauj	8	9600
9	Allahabad	20	24000	47	Kanpur Dehat	10	12000
10	Fatehpur	13	15600	48	Kanpur Nagar	10	12000
11	Kaushambi	8	9600	49	Hardoi	19	22800
12	Pratapgarh	17	20400	50	Lakhimpur K	15	18000
13	Azamgarh	22	26400	51	Lucknow	8	9600
14	Ballia	17	20400	52	Rae Bareli*	18	21600
15	Mau	9	10800	53	Sitapur	19	22800
16	Bareilly	15	18000	54	Unnav	16	19200
17	Budaun	15	18000	55	Bagpat	6	7200
18	Pilibhit	7	8400	56	Bulandshahar	16	19200
19	Shahjahanpur	15	18000	57	G B Nagar	4	4800
20	Basti	14	16800	58	Ghaziabad	4	4800
21	Sant K Nagar	9	10800	59	Hapur	4	4800
22	Siddharth N	14	16800	60	Meerut	12	14400
23	Banda	8	9600	61	Mirzapur	12	14400
24	Chitrakoot	5	6000	62	Sonbhadra	8	9600
25	Hamirpur	7	8400	63	SRavidas N	6	7200
26	Mahoba	4	4800	64	Bijnor	11	13200
27	Bahraich	14	16800	65	JP Nagar	6	7200
28	Balrampur	9	10800	66	Moradabad	8	9600
29	Gonda	16	19200	67	Rampur	6	7200
30	Shrawasti	5	6000	68	Sambhal	8	9600
31	Ambedkar N	9	10800	69	Muzaffarnagar	9	10800
32	Amethi*	13	15600	70	Saharanpur	11	13200
33	Barabanki	15	18000	71	Shamli	5	6000
34	Faizabad	11	13200	72	Chandauli	9	10800
35	Sultanpur	13	15600	73	Ghazipur	16	19200
36	Deoria	16	19200	74	Jaunpur	21	25200
37	Gorakhpur	19	22800	75	Varanasi	8	9600
38	Kushinagar	14	16800		**TOTAL**	**820**	**984000**

*पत्रांकः एम.डी.–कैम्प/2014–15/1647 दिनांकः 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र–सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

समस्त ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में रू0 300.00 प्रति माह की दर से ब्लाक के अर्न्तगत आने वाले समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में शत्प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिंग हेतु टी0ए0/डी0ए0 हेतु रू0 9,84,,000.00 (रु0 नौ लाख चौरासी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार तैनात किये गये समस्त ब्लाक एम0सी0टी0एस0 डेटा–इंट्री ऑपरेटर के टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.1.5.2 से किया जायेगा। उक्त धनराशियों का व्यय ''आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट'' में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें :–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमो/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appopriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0 / एच0एम0आई0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

4276-2-9

पत्रांकः एन0एच0एम0 / एस0पी0एम0यू0 / एच0एम0आई0एस0पी0–आई0पी0 / 2014–15 / 03 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

22/12/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक